

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

वीरसिंह

बनाम

रोह

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 163/2021

निर्णय दिनांक :- 11-11-2021

वादी की ओर से वकील मंगल खड्कर की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील रा.प. पेशकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.11.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोह चक 10555 के खाता सं० 150/144 के मु नं० 5 के किला नं० 1, 2, 3, 8, 9, 10 कुल 1.518 है, मु नं० 5 के किला नं० 4 का 7 की 1.012 है कुल खेता 2.530 है कारनी 25040 है, मु रास्ता 0.0260 है कारनी खातदारी कृषि भूमि में कलवीर सिंह अमरचन्द, मूपसिंह, मधवीर, ज्ञानीराम पि० जयसिंह के नाम 1/2 हिस्सा साकिन रावाइ छानी दर्ज है के बाजार कलवीरसिंह पुत्र अमरचन्द 1/10 हिस्सा, मूपसिंह, मधवीर, वीरसिंह पुत्रान जयसिंह का संयुक्त रूप से 3 हिस्सा, औमल्ला, प्रियंका अनिल कुमार पि० खड्कर खानीराम का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा के खातदार कलवीरसिंह घोषित किया जाता है - मुंकि कृषि भूमि के खेता के खेता खेता होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल शरभय किया जावगा

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़
कैम्प
2-11-21